



2026:AHC:125964

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 16549/2026

सलमान खान

----- आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

----- विपक्षी (गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : अभिषेक कुमार सरोज, नागेंद्र बहादुर सिंह

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता : ए.जे. खान, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नागेंद्र बहादुर सिंह, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.जे. खान और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री शिव दत्त शुक्ला को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा संख्या 0005/2026 में धारा 103(1), 238, 3(5) के तहत बीएनएस के तहत मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि सह-आरोपी आरिफ खान उर्फ राजू को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 01.05.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 12039/2026 में पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक की भूमिका सह-आरोपी की भूमिका से भिन्न नहीं है। यह भी कहा गया है कि अंतिम गवाह के साक्ष्य के अलावा आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। आवेदक 13.01.2026 से जेल में बंद है और उसका आपराधिक इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। आवेदक वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता और प्रथम शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया है।
5. प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज आरोप के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि प्रथम शिकायतकर्ता के बेटे को आज़ाद खान, आदिल खान, यास्मीन खातून और खुशी खातून तथा 4-5 अज्ञात व्यक्तियों के साथ देखा गया था और वह घर नहीं लौटा। आरोप है कि प्रथम शिकायतकर्ता के बेटे का अपहरण उपरोक्त आरोपियों द्वारा किया गया था। प्रथम शिकायतकर्ता के बेटे का शव 8 दिन बाद बरामद किया गया। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और उसका नाम जांच के दौरान सह-आरोपी इरशाद के इकबालिया बयान से सामने आया है, जिसे नाबालिग घोषित किया गया है। आवेदक को पैर पकड़ने का आरोप लगाया गया है, जबकि धारदार हथियार से हमला करने का मुख्य आरोप आरिफ खान उर्फ राजू पर है, जिसे इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
6. सभी तथ्यों, मामले की प्रकृति और अभिलेख से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार की जाती है।
7. उपर्युक्त मामले में आरोपित सलमान खान को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:
 - (i) आरोपित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।
 - (ii) आरोपित अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव / धमकी नहीं देगा।
 - (iii) आरोपित मामले की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और बीएनएसएस की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।



- (iv) आरोपित इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह ट्रायल कोर्ट में उपस्थित हों तो साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर वह अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की योग्यता पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा। निचली अदालत इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

4 जून, 2026